16/9/22 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील पक्षकारान को सुना गया व बहस पर बगौर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि वाके सरहद झुन्झुनू के भूमि खसरा नं. 3333, 3335, 3345 में सही रूप से पत्थरगढी बाबत निवेदन किया गया है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में उल्लेखित किया कि भूमि ख. नं. 3333 में बिना रूपान्तरित कराये प्रार्थी ने प्लाटिंग शुरू कर रखी है। रिपोर्ट प. ह. दिनांकित 24/7/2012 के अनुसार भूमि ख. नं. 3333 जो कि किस्म बारानी 1 कृषि भूमि है जिस पर अकृषि कार्य किये जा रहे है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण ने जवाब में उल्लेखित किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं ख. नं. 3334 से 3343 तक की भूमि का सीमाज्ञान करवाया है जिसमें अप्रार्थीगण का रकबा 0.39 है0 कम होना पाया गया। संलग्न सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 6/4/2012 के अनुसार भी अप्रार्थी का रकबा 0.39 है0 कम होना पाया गया। बाद अवलोकनार्थ यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी जिस भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है वह मौके पर नाप में कम है तथा अकृषि कार्यो के काम में आ रही है, इस प्रकार के मामलात में पत्थरगढी का आदेश दिया जाना संभव नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य ना होने व सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर साबित न होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी